मंत्री जूली ने जनसुनवाई की

अलवर, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय में जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए अलवर व जयपुर मुख्यालय पर नियमित रूप से जनसुनवाई की जा रही है। जनसुनवाई में जिले व प्रदेश से आए लोगों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में विभागीय अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एवं प्रदेश के लोगों के लिए नियमित रूप से जनसुनवाई की जा रही है।

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को मिल सके इस उद्देश्य से जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक रविकांत को निर्देश दिए की पालनहार, विधवा पेंशन ,छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, एकलनारी एवं दिव्यांगों के लिए विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनसुनवाई में ही पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाये।

खैरथल महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की मांग

महाविद्यालय के छात्रों ने विधायक दीपचंद खेरिया (दांए से पांचवें) को ज्ञापन दिया।

खैरथल, (निसं)। खैरथल के राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ कार्यकारिणी के विद्यार्थियों ने हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान और लोकप्रशासन विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करवाने की मांग उठाई है।

इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम ज्ञापन राजस्थान किसान आयोग

- **छात्रसंघ कार्यकारिणी के विद्यार्थियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा**

के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खेरिया व प्राचार्य को सौंप कर अपनी अनुशंसा व्यक्त करने का आग्रह किया है।

छात्रसंघ उपाध्यक्ष कुमकुम कुमारी ने बताया कि खैरथल जिला बनाने की घोषणा के बाद तेज़ी से क्रियान्विति हो रही है तो ऐसे में महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अध्ययन की सुविधा के लिए जिला स्तर के महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाना चाहिए,औरि इसके लिए खैरथल महाविद्यालय में बी ए तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी एकत्र हुए और उन्होंने पहले महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. रामकिशोर उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद महासचिव राजा भारती और संयुक्त सचिव रणजीत सिंह के नेतृत्व में राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की माँग की।

छात्रा रिंकी खातून ने बताया कि विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा मिल सके इसके लिए क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से एक शिष्टमंडल विधायक दीप चंद खैरिया से मिला। विधायक ने विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रयास करने और महाविद्यालय को क्रमोन्नत करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उत्तम सिंहासन, रिंकी खातून, युक्ता व्यास, तुषिता जोशी तथा अन्य विद्यार्थी शामिल रहे।

नि:शुल्क लैंस प्रत्यारोपण शिविर

श्रीमाधोपुर, (निसं)। जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के आर्थिक सहयोग व रोटरी क्लब श्रीमाधोपुर सनराइज, शंकर लाल कुम्हार, पुष्पनगर के संयुक्त तत्वावधान में शंकरा आई हॉस्पिटल, जयपुर द्वारा श्रीमाधोपुर के रोटरी भवन में 47 वां निशुल्क मोतियाबिंद जांच और लैंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। क्लब के गिरिराज कयाल ने बताया कि सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुए शिविर में 93 मरीजों के आंखों की जांच की गई तथा इनमें से चयनित 39 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन और लैंस प्रत्यारोपण के लिए शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर बस से रेफर किया गया जहां चयनित मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा साथ ही चयनित मरीजों के आने-जाने कि व्यवस्था से लेकर खानपान व रहने की संपूर्ण व्यवस्था निशुल्क की जाएगी। तथा चश्मे भी निशुल्क दिये जायेगें। इस मौके पर शंकरा आई होस्पिटल से डॉक्टर लिपिका, पूर्व सप्रान्तपाल डॉ माधव सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार चोटिया, शांति लाल सोनी, पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी, सचिव सुशील सैनी, मनोज कुमार चोटिया एवं अध्यक्ष विजय सैनी ने उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं दी। इससे पहले आयोजित 46 शिविरों में 44 सौ रोगियों का पंजीकरण किया जाकर उनमें से 1094 मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशन हो चुके है। इस तरह के आई कैंप क्लब द्वारा प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को आयोजित किया जाता है।

सार-समाचार

खेल किट का वितरण किया

चौमूं / कालाडेरा (निसं)। बुधवार को चौमूं शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और रेलवे स्टेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवाओं के लिए विधायक रामलाल शर्मा ने खेलकूद किट का वितरण किया। युवाओं के किट में बॉलिवाल, फुटबॉल, बेट, बैटमिंटन किट, कॉक, बॉल, रस्सी कूद किट आदि खेल की आवश्यक वस्तुए बच्चों को भेंट की। विधायक रामलाल शर्मा द्वारा खेलकूद किट पाकर बच्चो के चेहरे खिल उठे। विधायक शर्मा ने कहा कि युवाओं की प्रतिभाओं को तराशने के लिए विधालयो में खेलकूद किट का वितरण किया गया है। इस मोके पर विद्यालय प्राचार्य, स्टाफ़ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहें।

विवाहिता की संदिग्ध मौत

किशनगढ़ बास, (निसं)। गांव बंबोरा में बुधवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि अलवर दिल्ली दरवाजा निवासी उमेश ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनकी लड़की अंजू 28 वर्ष ने अपनी मर्जी से करीब डेढ़ माह पूर्व गांव बंबोरा निवासी हंसू के साथ शादी की थी। बुधवार देर रात 2 बजे फोन आया कि अंजू की तबीयत खराब हो गई है। सरकारी अस्पताल किशनगढ़ में भर्ती है। पियर पक्ष ने आरोप लगाया कि अंजू को उसके पति व ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी है। ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर अंजू का पोस्टमार्टम करवाया शव परिजनों पीहर पक्ष को सौंपा है। अंजू ने गांव बंबोरा निवासी अंशु के साथ करीब ढेड माह पहले कोर्ट मैरिज की थी।

पूर्व राज्यपाल की जयंती पर प्रतिभाओं को सम्मानित किया

दौसा, (निसं)। जिला मुख्यालय पर पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती पर विभिन्न क्षेत्र की उत्कृष्ट 31 प्रतिभाओं का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा द्वारा सम्मान किया गया।

- **31 प्रतिभाओं का चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सम्मान किया**

पूर्व राज्यपाल शर्मा की जयंती पर इस सम्मान समारोह में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा खादी बोर्ड चेयरमैन बृजकिशोर शर्मा एवं पूर्व आरपीएससी सदस्य विनोद बिहारी शर्मा आदि मौजूद रहे। पूर्व राज्यपाल शर्मा के जयंती के मौके पर 25 स्कूल छात्र छात्राओं सहित विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 लोगों सहित करीब 31 प्रतिभाओं का स्मृति चिन्ह साल एवं नगद राशि देकर सम्मान किया गया। पूर्व राज्यपाल शर्मा की जयंती के मौके पर आयोजित विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परिषद लाल मीणा ने कहा कि पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा से राजनीतिक जीवन में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। पुर राज्यपाल पंडित शर्मा के जीवन काल में दौसा जिले को बहुत कुछ मिला है। चिकित्सा मंत्री मीणा ने खुद के संबोधन में कहा कि पूर्व राज्यपाल शर्मा उनके समय के बड़े कद्दावर जनप्रतिनिधि रहे थे। उनके द्वारा विकास की राजनीति करते हुए कभी खुद के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया गया। मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दोसा जिले को कई बड़े विकास की सौगातें दी गई है जिनमें ईसरदा प्रोजेक्ट सबसे एम है यह प्रोजेक्ट जिले के लोगों के लिए पेयजल सुलभ कराने की बड़ी परियोजना साबित होगी। इस कार्यक्रम को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा एवं खादी बोर्ड के चेयरमैन व पूर्व मंत्री रहे ब्रजकिशोर शर्मा आदि द्वारा भी संबोधित किया गया।

सड़क पर घायल मिले नंदी का इलाज कराया

श्रीमाधोपुर, (निसं)। कस्बे के एक आम रास्ते पर घायल व्यवस्था में नंदी (सांड) पड़ा मिला जिसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने संभाला व बीमार नंदी का करवाया उपचार करवाया।

बीमार गोवंश की सेवा में जुटे सामाजिक संगठन, अपने स्तर पर गायों की सेवा मे तत्पर तैयार रहकर लगातार गोवंश की सेवा में लगे हुए है। बुधवार सुबह रवि प्रजापत को सिनेमा हाल की गली में बरगद के पेड़ के पास बिमार घायल नंदी की जानकारी मिली तो वो तुरंत गोवंश बचाने को पहुंचे वहां देखा बीमार गोवंश के कीड़े पड़ गए है। विहिप के प्रखंड उपाध्यक्ष रवि प्रजापत, लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट उपखंड प्रभारी मुकेश शर्मा, सतीश कुमावत, शुभम सैनी ,धर्मेंद्र धोबी गौ सेवकों ने सड़क पर ही घायल सांड के इलाज के लिए डा. महेंद्र सिंह से सम्पर्क किया। मौके पर आए डा, गोशाला मेनेजर राहुल

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने बीमार नंदी का उपचार करवाया।

शर्मा, दीपक, व संगठनों से जुड़े लोगों ने नंदी को पकड़ कर दवाई लगवाई प्राथमिक इलाज करने के बाद अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।पिछले एक साल में गौ सेवकों द्वारा कई ऐसी सैकड़ो गोवंश का इलाज करवा चुके हैं, जो या तो बीमार थी या फिर सड़क पर वाहन की चपेट में आने से घायल हो गई थी। पशु चिकित्सा कर्मियों से इलाज करवाने में मदद करने सहित गोवंश बचाने का हर संभव कार्य किया है ।विहिप और लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कई गंभीर गाय स्वस्थ हो पाई है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र (न.पा.) रींगस, जिला-सीकर (राज.)

क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.(न.पा.)रींगस/2023-24/1736 दिनांक-04.07.2023

प्ररूप-10
(नियम 6(1) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रींगस
लोक सूचना

निम्न खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1	खातेदार श्रीमति इंद्रमणि पत्नि श्री बाबुलाल निवासी पलासाना श्री बंसत कुमार पुत्र सांवरमल निवासी दिनारपुरा श्री रतनलाल पुत्र संवतराम निवासी कंवरपुरा श्री शंकरलाल पुत्र खीमाराम निवासी-कुशलपुरा	जिला सीकर तह.श्रीमाधोपुर	राजस्व ग्राम महरौली	1722 का रकबा 1.2600 है. 1753 का रकबा 0.0300 है0	कुल किता 02 व 12900 वर्गमीटर एवं आवासीय प्रयोजन
2	खातेदार श्रीमति मंगली देवी पत्नि श्री कालूराम निठारवाल, श्री मुकेश मोहित, सागरमल पुत्रगण कालुराम निठारवाल निवासी वार्ड नं. 17 रींगस	जिला सीकर तहसील रींगस	राजस्व ग्राम रींगस	खसरा नं. 6048 /5271 का रकबा 0.2564 है0 6044/5271 का रकबा 0.4045है0	कुल किता 02 व 6809 वर्गमीटर एवं मोटल प्रयोजन

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचितकियाजाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 4.7.23 को जारी की गयी।

(सीताराम कुमावत)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय क्षेत्र (न.पा.) रींगस

बार एसोसिएशन ने सांभर-फुलेरा जिला बनाए जाने की मांग रखी

सांभरझील, (निसं)। सांभर-फुलेरा संयुक्त जिला बनाए जाने की मांग को लेकर सांभर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज कुमावत, सचिव निशांत शर्मा के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जयंत कुमार चौधरी को सौंपा गया।

इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमावत ने कहा कि कि कुछ चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण पड़ोसी विधायक के दबाव में आकर सांभर-फुलेरा जिला बनाने की चली आ रही मांग में व्यवधान पैदा कर अब सांभर-दूदू को शामिल करने की साजिश रची जा रही है, जबकि सांभर खुद उप जिला का दर्जा प्राप्त है एवं राजस्थान का सबसे पुराना उपखंड है, ऐसे में ग्राम पंचायत दूदू जिसे नव जिला घोषित किया गया है में शामिल किये जाने का समिति की ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है उससे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जन भावना पूरी तरह से आहत हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि सांभर फुलेरा की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए दूदू नवगठित जिले में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर समिति अब सांभर दूदू जिला की मांग क्यों कर रही है।

सांभर बार एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड समिति है जबकि जिन लोगों की ओर से समिति गठित कर यह मांग की जा रही है वह अनरजिस्टर्ड संस्था है। समिति के सचिव निशांत शर्मा ने कहा कि सांभर फुलेरा की मांग लंबे समय से चली आ रही है और बार एसोसिएशन जन भावना के साथ पूरी तरह खड़ा है।

पूर्व कोषाध्यक्ष योगेश शुक्ला का कहना है कि देश में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है कि एक उप जिला को ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने की मांग उठी हो, समुद्र का नदी में विलय नहीं हो सकता है इसी प्रकार ग्राम पंचायत में उपखंड का भी विलय किया जाने की मांग करना गैर वाजिब है व न्यायोचित नहीं है। एडवोकेट कानाराम कुमावत एने कहा कि जिन लोगों को क्षेत्र की भौगोलिक व प्रशासनिक जानकारी का अभाव है वे गलत तरीके से मुहिम को प्लेटफार्म पर ले जाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और सांभर फुलेरा जिला बनाने की योजना को कमजोर करने पर तुले हुए हैं।

विशेष योग्यजनों को राहत मिली

लालसोट रामगढ़ पचवारा, (निसं)। उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ के द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं जिला प्रशासन दोसा के सहयोग से आयोजित हुए शिविर में आने वाले परिवादियो सहित खासकर विशेष योग्यजनों को राहत मिली।

वही शिविर के दौरान आने वाले प्रकरणों का ज्यादातर मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार एवं सीडब्ल्यूसी से साबो देवी मीणा पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा एसडीएम मोहर सिंह मीणा जिला बाल संरक्षण इकाई के सुनील मीणा द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान ज्यादातर प्रकरण आयोग से जुड़े प्रतिनिधि एवं सीडब्ल्यूसी व प्रशासन के समक्ष विशेष योग्यजनों से जुड़े ज्यादा है।

वही मौके पर ज्यादातर प्रकरणों का निस्तारण कर विशेष योग्यजन ओके आए प्रकरणों का उनको प्रमाण पत्र बनवा कर लाभान्वित करने का कार्य शिविर में किया गया। शिविर के दौरान जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा आने वाले पात्र लाभार्थियों को हाथों हाथ मौके पर प्रकरण निस्तारित कर लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से आए प्रतिनिधियों द्वारा कुछ सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कमी कमी पाए जाने पर उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी महुआ संजय गोयल जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम आदि मौजूद रहे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिन्गटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 । फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट- VI {नियम 8 (1)}
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अत: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.3.2023 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह कर्जदारों एवं जामनतियों 1. राजकुमार एण्ड कम्पनी, 2. राजकुमार ताम्बी, 3. मोहन लाल को जारी किया गया था, जिसमें 18.03.2023 की तिथि को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रूपये 62,17,608.45/- (रूपये बासठ लाख सतरह हजार छ सौ आठ और पैसा पैतालीस मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चचुकाने में विफल रहे है अत: कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2023 के 3सरे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तो के अधीन राशी रूपये 62,17,608.45/- (रूपये बासठ लाख सतरह हजार छ सौ आठ और पैसा पैतालीस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा। कर्जदारों का अध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

दुकान नं. 74 क्षेत्रफल 14.89 वर्ग मीटर्स, अर्थात 160.21 वर्ग फिट, नाग तलाई, सूरजपोल अनाज मण्डी के सामने, सूरजपोल गेट जयपुर के बाहर, चौकडी हवेली, जयपुर राजस्थान-302003 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-रोड 30 फिट चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. 5 विक्रेता का मकान, उत्तर दुकान नं. 73, दक्षिण-पैसेज

दिनांक- 3 जुलाई, 2023 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता सं.-10034996711और 10056429349 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

विधायक प्रशांत बैरवा का कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया

निवाई, (निसं)। निवाई-पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा के जन्म दिवस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। जगह-जगह स्वागत समारोह के आयोजन हुए। जयपुर से निवाई तक अनेक जगह कार्यकर्ताओं ने विधायक बैरवा को मालाओं से लाद दिया।

शहर में बस स्टेण्ड पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष पारस पहाडी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंकर चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 21 किलो फूलों की माला पहनाकर व केक कटवाकर स्वागत किया व बधाई दी। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक बैरवा के जिन्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। बुधवार की सुबह कार्यकर्ताओं ने जयपुर निवास पर पहुंचकर माला व साफ पहनाकर बधाई दी। इस दौरान विधायक प्रशांत बैरवा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जयपुर से रवाना हुए। इस दौरान सांगानेर पुलिस थाने पर एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मीणा एवं विकास बोकण के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधायक बैरवा का

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रशांत बैरवा को फलों से तोलकर घोड़ी पर बैठाकर जुलुस निकाला।

स्वागत किया। जिले की सीमा पर कौथून में एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रामधन मीणा, गुन्सी में हनोतिया सरपंच शांति देवी एवं मदन मीणा, ग्राम पंचायत मूण्डिया में मूण्डिया मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में स्वागत किया। इस दौरान बनस्थली मोड पर उपखण्ड अधिकारी रविकांतसिंह मीणा के नेतृत्व में तहसीलदार अजीत बुन्देला, नायब तहसीलदार कुलदीपसिंह, विकास अधिकारी रानू इंकिया सहित कई कर्मचारी एवं अधिकारियों ने विधायक

- **निवाई एवं पीपलू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए रहूंगा कटिबद्ध : बैरवा**

बैरवा को बधाई देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार हरिजन बस्ती में पार्षद कान्ता देवी संगत एवं कन्हैयालाल संगत, टाल वाले के मौहल्ले में पार्षद इमरान खान, अजहर कुरेशी, युसूफ खान, तनवीर कुरेशी, इमरान एवं सेफू सहित कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिसमें राजस्थान तीरन्दाजी एसोसियशन के अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह खंगारोत, ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट शंकरलाल जाट, शहर अध्यक्ष पारस पहाडी, पूर्व शहर अध्यक्ष महावीरप्रसाद पराणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी, राजेश गुरूजी, ब्रह्मप्रकाश गुर्जर, पप्पूलाल मीणा, प्रदीप पारीक, सीआर हनुमान मीणा, हंसराज जगसरा, सीताराम शर्मा अलियाबाद सहित कई कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रशांत बैरवा 21 किलो फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया।

नामांकन व प्रवेशोत्सव रैली का आयोजन

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर में प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर की अध्यक्षता में नामांकन एवं प्रवेशोत्सव रैली का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विशिष्ट अतिथि व एसएमसी सदस्य एडवोकेट राजेन्द्र कुमार शर्मा व एसडीएमसी सदस्य जगदीश प्रसाद मीणा पार्षद द्वारा विद्यालय के टॉपर छात्र-छात्राओं का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। उपप्राचार्य सज्जन सिंह जाट द्वारा कला वर्ग की टॉपर छात्रा लवली शर्मा को 51 सौ रु व राहुल सैनी तथा ममता तेतरवाल को 11 - 11 सौ रु का चैक पारितोषिक के रूप में भेंट किये। संस्था ने सत्र के परिणाम कार्यकम में प्रस्तुत किया और आगे भी उत्कृष्ट परिणाम के लिए आ ान किया। सम्मान समारोह के पश्चात अतिथियों एवं प्रधानाचार्य के द्वारा नामांकन व प्रवेशोत्सव रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर कें मुख्य मार्गो से होती हुई कचियागढ़ स्कूल में पहुँची जहां सभी छात्र-छात्राओं को फल, दूध व बिस्किट का अल्पाहार करवाया गया। नामांकन रैली में उपप्राचार्य चन्द्रभान बडसेवाल, विनोद कुमार यादव, अशोक कुमार शर्मा , रामगोपाल मीणा, उत्तम प्रकाश वर्मा आदि शामिल हुए।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिन्गटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 । फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट- VI {नियम 8 (1)}
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अत: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.12.2022 को एक मांग पत्र कर्जदारों सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. शुभ शक्ति विद्यापीठ शिक्षा समिति, 2. धनवन्त्री यादव, 3. जसवन्त सिंह यादव, 4. लोकेश यादव, 5. मीना यादव को जारी किया गया था, जिसमें 28.12.2022 की तिथी को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रूपये 1,64,80,617.64/- (रूपये एक रोड चौसठ लाख अस्सी हजार छ सौ सत्रह और पैसे चौंसठ मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चचुकाने में विफल रहे है अत: कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2023 के 3सरे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तो के अधीन राशी रूपये 1,64,80,617.64/- (रूपये एक रोड चौसठ लाख अस्सी हजार छ सौ सत्रह और पैसे चौंसठ मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा। कर्जदारों का अध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

आईटम-1
प्लाट नं. 58, प्लाट क्षेत्रफल 219 वर्गगज, देवी नगर विस्तार, हरनाथपुरा, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम-रोड 30' चौडी, उत्तर-अन्य भूमि, दक्षिण-प्लाट नं. 58-ए
आईटम-2
प्लाट नं. 58-ए, प्लाट क्षेत्रफल 300 वर्गगज, देवी नगर विस्तार, हरनाथपुरा, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम- रोड 30' चौडी, उत्तर-प्लाट नं. 58, दक्षिण-प्लाट नं. 59
आईटम-3
प्लाट नं. 64, प्लाट क्षेत्रफल 165 वर्ग, देवी नगर विस्तार, हरनाथपुरा, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-रोड 30' चौडी, पश्चिम-अन्य भूमि, उत्तर-प्लाट नं. 65, दक्षिण-प्लाट नं. 63-ए

दिनांक- 3 जुलाई, 2023 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या-27098580 एवं 32898105 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)